FORM-II (for projects other than linear projects) Government of H.P. Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014 - 654

Dated: 19/9/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEE's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-03-75 heeter of forest land proposed to be diverted in favour of Naib Tehsildar Jalog Sub- Tehsil Jalog District Shimla for Construction of Revenue Training Center at Jalog (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rural Forest Division.

It is further certified that:-

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-03-75 heeter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s). Sub Division Level Committee(s) and the District

Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 11.
The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernaçalar/Local language) have been placed before each concerned Gram

Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to annexure

(d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required (h) chim/under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of FRA

Enci: As above

DIGISOPACS Practo Thakur) District Control (Shim)a

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

369

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 11-09-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Ogli claiming rights in Village Ogli forest area(s) 0-03-75 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil-

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-03-75 hect. forest area.

Place: Shimla

Date: 11-09-2017

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

2



PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 11-09-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, LAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total—cases for—issuance of Lorest Right Certificate—which have been received from the Sub-Divisional Committee—placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee, have been approved to be processed under ECA.

• The meeting ended with vote of thanks.

melms

11/9/2013

Sub-Division Magistrate (R)

Shart: Awarm'

John Ochm

(Stage)

Deputy Commissioner Cum-Chairman District Level Forest Right Committee Shimia District Shimla, H.P.

(Office of the Sub- Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of Sh Bhupender Kumar Attri, SDO (Civil) Shimla Rural on 22/07/2017 at 02-00 AM/PM at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department of Naib-Tehsildar, Jalog, District Shimla. As discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1.	No Clame from anybody has been received	UPF Ogli	Construction of
			Revenue Training
			Centre at Sub Tehsil,
			Jalog area 0 02 75 Heat

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Appli	cant		Name of I	Forest	De	tail of for	est Right
1.	-							est Hight
2.								
			OR				2	
As informed	by	Gram	Sabha on	application	was r	eceived	claiming	rights in
	forest	area.						
				٨			1	

Place: Shimla

Date: 22/07/2017

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Annexture-I 3 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन अधिकार समित्रि ग्राम समा वन अनिध्यार सामात पालाग (अर

दिनांक 2 10 3021

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा जाल जालाज (ठारू)की बैठक आज दिनांक 2/10/903/ को 11:45 AM बज़े स्थान जालाज ठारू में श्री/ श्रीमिति मां अवा अभारकी अध्यक्षता में की गई जिसमें **गांव है। अनुस्तित जनजा**ति और अन् परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत. U -13 सम्मा-अगेराल जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें राजस्व विभाग द्वारा: Revenue** Training Center at sub Teh. JALOG के निर्माण के लिए 00-03-75 है क्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा

द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम चीतिलिय मल्डिम ही

वन अधिकार का व्यौरा

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों की पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0सं0

*पात्र गांव वासी का नाम

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों की पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम वन अधिकार समिति 2000 अधीकृत हस्तासिर्काली, ग्राम पंचायत ओगली ग्राम सभा तह. सुनी, जिला शिमला

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्राजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexture-II अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ग्राम सभा अने अम्हाकार प्रतिलिपी प्रस्ताव

ग्राम सभावन आरामारियामि प्राणाम (अर्) की बैठक आजू दिनांक 2 10 2621 को 11.45 में श्री श्रीमति सुव्यय की अध्यक्षता में की गई जिसमें शाब जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत U=13. Suma-ogli जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें राजरव विभाग द्वारा Rev Training Centerat Jalog के निर्माण के लिएहैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गयाः—

क0सं0 *पात्र गांव वासी का नाम 🔒 जंगल का नाम यातालाप मलान वन अधिकार का व्यौरा

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों की पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :-

क0सं0

*पात्र गांव वासी का नाम


1

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों की निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार......जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। NOWIN दिनांक9 10 209 अधीकृत्ममहल्लाक्ष्मिकार सामिति ग्राम समिवितास्त, ग्राम पंचायत ओगली

तह. सुनी, जिला शिमला * ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रीजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



(303)

कार्यालय ग्राम पंचायत ओगली विकास खंड बसन्तपुर eमेलld ogli.bpur@gmail.com

आज दिनाक 05/02/2017 को ग्राम पंचायत ओगली की ग्राम सभा बैठक प्रधान श्री मती विध्या शाण्डिल जी अध्यक्षता में आयोजित हुई ! उपस्थित कोरम पूर्ण रही, निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई !

प्रस्ताव सं(०) प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर(राजस्व) जलोग के भवन निर्माण के लिए भूमि स्थान्तरित हेतु
अनापति प्रमाण पत्र बारे विचार विमर्श

उपरोक्त प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमित से चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर(राजस्व) जलोग के भवन निर्माण के लिए निर्मित करने पर पंचायत को कोई आपित नहीं है व जिस भूमि से यह भवन का निर्माण किया जा रहा है वहां पर कोई भी श्मशानघाट, बावड़ी, धार्मिक स्थल व अन्य जलस्त्रोत आदि नहीं है अतः विभाग से अनुरोध है कि उक्त भवन के कार्य को शीघ्र आरम्भ कर पूर्ण किया जाए ताकि जनता को इस सुविधा का लाभ मिल सके ! इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ होगा ! प्रस्ताव तहसीलदार सुनी/नायब तहसीलदार जलोग व सहायक अभियंता लोक निर्माण उपमंडल जलोग जिला शिमला की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है !

प्रस्ताव सर्वमान्य व् स्वीकार्य है व् आगामी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

प्रधान /सचिव ग्राम पंचायत ओगली

RADHAN



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006

ग्राम सभा ३२१३४ (ग	
विकास खण्ड	जिलाहि0प्र
	,

प्रतिलिपी प्रस्ताव

	दिनांक05-02-20
	गणपूर्ति185365 प्रस्ताव सख्या(र.). ड
	विषय Revenue Dest. विभाग संस्था को प्रस्ता ति
-	के निर्माण हेतु
	.O.ØO. ड
	ग्राम सभा अगुरु की बैटक आज दिनांक 5-9-3017 को 11.45
500	बजे स्थान
	सभी ग्रामवासियों ने सर्वाधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उददेश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने
	पर सहमत है।

ग्राम पंचायत की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मित से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है/कर ली है तथा प्रस्तावित १११००० के हैं क्टेयर वन भूमि को हिस्स निवास है उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमित दी जाती है।

स्थान... आगे..

दिनांक... 5/9/.... १० 17

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा 🎎

PRADHAN

GRAM PANCHAYAT U

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मानयता)अधिनियम2006

ग्राम सभा...3गुरुष

प्रतिलिपि प्रस्ताव

क0स0.....पात्र गांव वासी का नाम जिल्ला का नाम किल्ला का नाम विवास का ब्योरा तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावें दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। व्यरोक्त निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र0स0.....पात्र गांव वासी का नाम

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रिषत करती है। उपरोक्त में से लिखित पात्रो का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क0स0

पात्र गांव वासी का नाम

1 2

तदानुसार ग्राम सभा छारा इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा/सभी की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार...... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नही हुआ है।

दिनाक..!5 .1/2/.9016

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ना

म सभा 💮

ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है

.....प्राजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है।

(316)

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव।

		1	
प्रस्ताव	सख्या	(.5.))

दिनांक .. 15 - 12 - 2015.

वन अधिकार समिति,ग्राम सभा भारता करें। की बैठक आज दिनाक! 5-12-2016
को 10-45 वजे स्थान प्राच्याका में श्री/श्रीमती केनी देश स्
की अध्यक्षता में की गई जिसमें
अनुसुचित जनजाति और अन्य प्रम्परागत वन निवासियों से(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006के
अर्न्तगत
अर्त्तगत
हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह सिनित इस नतीजे पर पंहुची की श्री/श्रीमती कि कि कि कि कि कि कि कि पाया नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदानुसार सिनित इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिनित को प्रेषित करती है/तदानुसार सिनित इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान............

दिनाक. 15-19-206.

ग्रम्स प्रंचायत एवं विकास अधिकारी णाम विकास सचिति रेडे नेर्ग राम ग्राम पंचायत वह स्थान

......प्राजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग को अनुमित दी जानी है।

309

The Joint inspection on dated 05/07/2016 of Government land comprising in Khasra No. 323/3 measuring 00-03-75 hec. Of mauza Tharu Sub Tehsil Jalog Distt. Shimla (Rural) proposed for C/O Revenue Training centers at Jalog (Tharu). The land is classified as Charagah Darkhtan in the revenue record exists upon the proposed land and no path, no trees Green/ Dray thereupon. The said land found fit for the purpose. There is no water resource, religious place, public, common path, cremation ground, etc. on the proposed land. There is no alternative non forest land available for the above purpose.

Sub Dhy Biking Politicer shimle (Rufal) H.P.

Tehsildar / Naib Tehsildar Tehsil Suni

Assistant Engineer
H.P.P.W.D. Sub Division

Range Forest Officer

Bhajji Forest Range

Ringe Officer

Forest Range Bhajji Sunni

Divisional Forest Officer Forest Division Shimla

VILLAGES LIKELY TO BE BENEFITTED DIRECTLY FROM THE PROPOSAL

Name of work: - C/O Revenue Training Centre at Jalog Sub Tehsil Jalog.

It is certified that total six panchayats come under the jurisdiction of Sub Tehsil Jalog. Total population of all villages are about 25000. Thus 25000 general public of six panchayats will be directly benefited by this Revenue Training centre Cum Sub Tehsil Jalog at Jalog.

Naib Tabeildaridal 9810g Sub Tisheitushogila No. WLM- 102/ 3613 H.P. Forest Department,

Dated Shimla, the 28 to -2024

From:

Dy. Conservator of Forests, Wildlife Division, Shimla.

To,

Naib Tehsildar, Sub. Tehsil Jalog.

Subject:

Reg. Issuance of Aerial distance Certificate (Eco Sensitive Zone) of proposed Building of revenue Training Centre, Sub

Tehsil Jalog, Distt. Shimla.

Sir,

Kindly refer to your office letter N.T. Jalog 4.1(16) 16/ 1108 dated 7.10.2021on the subject cited above.

2. As per report sent by Range Forest Officer of this Division the aerial distance of the proposed above site is approx. 14.93 km. from Wildlife Sanctuary and the aerial distance from Eco Sensitive is approx. is 14.38 km . there will be no such negative impact on the Wildlife Sanctuary, thus this Division has no objection for construction of proposed building of revenue Training Centre.

This is for favour of your kind information and necessary action please.

Yours sincerely,

Dy. Conservator of Forests, Wildlife Division, Shimla.

